खण्ड 6 संख्या 5

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 24 मार्च, 1982 ई० ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 1 एवं 2	1—5
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318 (उत्तरित, पर पुनः स्थगित), 319, 340, 341, 342, 364, 391, 406, 411 ।	6—29
परिशिष्ट —(प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	30—61
दैनिक निबंध	63

टिप्पणी.—किन्हीं माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

वृद्धावस्था पेंशन न देने के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा लिखित रूप में प्रखंड कार्यालय चंडी को दिसम्बर, 1980 में किया था ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बतलाएगी कि मुखिया के अनुशंसित व्यक्तियों में से इसका नाम वृद्धावस्था पेंशन से हटाने का औचित्य क्या था तथा सरकार इनकी पेंशन स्वीकृति करने पर पुनः बिचार करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीरुद्दीन हैदर खाँ—(1) यह सही है कि सरथा ग्राम पंचायत के मुखिया श्री राम ईश्वर प्रसाद ने जीतू राम के आवेदन पत्र पर मासिक आय 50 से अधिक बताया है। अपने प्रतिवेदन पर उन्होंने कोई तारीख अंकित नहीं किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवश्यक छानबीन करने के बाद आवेदक को योग्य पाकर पेंशन हेतु अनुशंसा की।

(2) श्री जीतू राम वल्द स्व० बुलक राम ग्राम मानपुर पंचायत सरथा थाना चंडी (नालन्दा) का वृद्धावस्था पेंशन लेखा संख्या 15489/81 से स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृति पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को भुगतान करने हेतु भेजा जा रहा है।

दोषी व्यक्ति को दंडित करने के संबंध में।

416. श्री शीतल प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—(1) क्या यह बात सही है कि श्री श्याम सुन्दर भगत, परिवार कल्याण, जिला कटिहार गत 1979 के जुलाई में सेवा निवृत हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री भगत का पेंशन पेपर अभी तक महालेखाकार, के पास पेंशन निर्धारण हेतु नहीं भेजा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री भगत ने लिखित रूप से 16 अक्टूबर, 1980 18 दिसम्बर, 1980, 16 सितम्बर, 1981 तथा 21 नवम्बर, 1981 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राणपुर तथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को पेंशन भुगतान के संबंध में स्मार-पत्र दिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी व्यक्ति को दंडित कर श्री भगत का पेंशन पेपर उचित कार्रवाई हेतु महालेखाकार को भेजने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा—खंड-(1) से (4) सिविल सर्जन, कटिहार को निर्देश दिया जा रहा है कि श्री श्याम सुन्दर भगत के पेंशन संबंधी कागजात एक मास के अन्दर महालेखाकार बिहार को अवश्य भेज दें एवं विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों का नाम आवश्यक कार्रवाई के लिये सूचित करें ।

सड़क की मरम्मत ।

417. श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह-उपहरा सड़क का निर्माण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क पर अलकतरा (पीच) नहीं देने के कारण सड़क बरबाद हो रही है और जनता को आने-जाने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सड़क पर अलकतरा देने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर अंशतः स्वीकारातत्मक है । पथ में 26 से 31 मील में कालाकरण छोड़कर शेष कार्य पूरा किया जा चुका है ।

(2) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । पथ की कुल 33.25 मील में से लगभग पांच मील (26 वीं से 31 मील तक) में ही अलकतरा का कार्य नहीं हो सका है ।

(3) पथ के प्रभावित अंशों में पथ-परत के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की जा रही है । तकनीकी परीक्षण कोषांग की अनुशंसा की अपेक्षा है ।

सड़क का पक्कीकरण ।

419. श्री जंगी सिंह चौधरी—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड के सासाराम आरा पक्की सड़क पर मोकर ग्राम से होते हुए कुड़वा, मोडीहा खरवनिया, वेलवा एवं मुड़कुड़िया ग्राम तक की कच्ची सड़क को पक्कीकरण के लिये कार्यपालक अभियंता,